न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 130/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/448

उनवान

1. भगवान पुत्र जोधा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....प्रार्थी

बनाम

1. गणेश पुत्र जोधा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. अम्बालाल पुत्र बाबुलाल जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी खटामला, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
3. काली उर्फ रूपीबाई पुत्री ऊंकार जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. चतरमुज पुत्र जोधा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. जेतुबाई पत्नी ऊंकार जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. मांगीलाल उर्फ लक्ष्मणलाल पुत्र ऊंकार जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पुरणपुरी पुत्र नन्दपुरी जी जाति गोस्वामी, उम्र वयस्क, निवासी लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू. डी.), मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. पटवारी, पटवार हल्का लदानी तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री कैलाशन्द्र डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 3.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा लदानी, पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1795/368, 2097/369, 2113/368 किता 3 कुल रकबा 0.2032 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमांकन कर चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:38 IST
Reason: SelfAttested

कराया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमियों की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावें तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 8 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावें तो मुझ प्रार्थी की भूमियों से विपक्षी संख्या 1 से 8 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। ताईद में मुझ प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की मुझ विपक्षी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 प्रकरण संख्या 142/2023 विविधि अनवान अम्बालाल बनाम भगवानलाल गाडरी प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्थरगड़ी का आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार मावली द्वारा जरिये भू–अभिलेख निरीक्षक फतहनगर एवं पटवारी पटवार हल्का लदानी द्वारा नियमानुसार मौके पर पत्थरगड़ी के निशान कर पत्थर गाढे गए, परन्तु प्रार्थी स्वयं ने थोड़े समय पश्चात जोर जबरदस्ती कर मौके से पत्थरगड़ी को उखाड़ फेंका व निशानों का क्षत विक्षत कर दिए। अंत में निवेदन किया की मुझ विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थी का कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं होने एवं किसी तरह का सीमा विवाद नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुझ विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध अस्वीकार करने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम पर सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी किए जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया।

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 69 पर दर्ज आराजी नम्बर 1795/368, 2097/369, 2113/368 किता 3 कुल रकबा 0.2032 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण [illegible] प्राप्त करने [illegible] घोषणा से संबंधी नही है। केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:38 IST
Reason: SelfAttested

मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। सीमा संबंधी विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : आदेश : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 69 पर दर्ज आराजी नम्बर 1795/368, 2097/369, 2113/368 किता 3 कुल रकबा 0.2032 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर चारो दिशाओं में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:38 IST
Reason: SelfAttested